न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज सिंह आर.ए.एस

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार बनाम पटवारी हल्का मणकसास

बनाम

श्री रतनलाल पुत्र श्रीराम जाति पूनिया निवासी [illegible]

अंतर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

— निर्णय —

प्रकरण संख्या– 21/2022

पत्रावली [illegible] आदेश पेश हुई। अपाली [illegible] हल्का मणकसास ने [illegible] पटवार हल्का मणकसास ने [illegible] 0.30 है0 सरकारी भूमि पर श्री रतनलाल पुत्र श्रीराम जाति पूनिया [illegible] लगा कर अतिक्रमण किया है। [illegible] रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने [illegible] प्रार्थी उक्त आराजी पर कदीमी रूप से काबिज है तथा प्रार्थी के पास [illegible] भूमि नही है। इसके अलावा अप्रार्थी ने कोई ठोस साक्ष्य सबूत आदि पेश नही किये है। [illegible] होता है कि प्रार्थी का कदीमी कब्जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का उसके [illegible] किया है।

पत्रावली मे उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद [illegible] राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर [illegible] के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा आराजी [illegible] जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के लाल भूमि खसरा नम्बर [illegible] बारानी व गै0 मु0 पहाड मे से 0.30 है0 सरकारी भूमि पर से श्री रतनलाल पुत्र [illegible] मणकसास को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत [illegible] वार्षिक लगान 2 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 100/–रुपये (अक्षरे रू सौ मात्र [illegible] आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार [illegible] को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को [illegible] कर रिपोर्ट बेदखली पेश करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील [illegible] दिनांक 28.04.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible] 22-23 — [illegible] 45

[illegible] — 100 , [illegible]

तहसीलदार [illegible]